



Neutral Citation No. - 2026:AHC-LKO: 6990-DB

ए.एफ.आर.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आपराधिक अपील संख्या - 1715 वर्ष 2011

यासीन

.....अपीलकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

अपीलकर्ता के लिए अधिवक्ता: फिरोज अहमद खान, कैलाश नाथ मिश्रा, मोहम्मद मुस्तफा खान,
राहुल मिश्रा, विजय नाथ पांडे

प्रतिपक्षियों के लिए अधिवक्ता: सुश्री मीरा त्रिपाठी, अपर शासकीय अधिवक्ता उत्तर प्रदेश राज्य

प्रतिरक्षित तिथि: 31.10.2025

निर्णय तिथि: 30.01.2026

न्यायालय संख्या 9

माननीय न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान

माननीय न्यायमूर्ति अब्देश कुमार चौधरी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(माननीय न्यायमूर्ति श्री अभय कुमार चौधरी द्वारा उद्घोषित)

1. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) (इसके बाद "द०प्र०स० के रूप में संदर्भित") के तहत प्रस्तुत आपराधिक अपील अपीलकर्ता/अभियुक्त-यासीन द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 371 वर्ष 2009 (राज्य बनाम यासीन और अन्य) में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 11, गोंडा द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 22.09.2011 के खिलाफ दायर की गई है, जो अपराध मामले संख्या 154 वर्ष 2009 से उत्पन्न हुआ है, जिसमें उसे धारा 302 भ०द०वि० के तहत अपराध करने के लिए दोषी ठहराया गया है और 10,000 रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जुर्माने का भुगतान नहीं करने के मामले में, अपीलकर्ता को एक साल के साधारण कारावास से गुजरने का निर्देश दिया गया है।

अभियोजन पक्ष का मामला

2. संक्षेप में अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि अपीलकर्ता की पत्नी हसीना बानो की वर्ष 29/30 अप्रैल, 2009 की मध्यरात्रि में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। ग्राम चौकीदार-रमजान (अ०सा०-3), ऐसी सूचना प्राप्त करने पर अपीलकर्ता/उसकी पत्नी के घर पहुंचा, जहां उसने मृतक-पत्नी के शरीर पर चोट के कुछ निशान देखे, जिससे पता चलता है कि मृत्यु अप्राकृतिक थी। इसलिए, उक्त ग्राम चौकीदार ने घटना की लिखित रिपोर्ट थाना प्रभारी थाना कटरा बाजार, जिला-गोंडा को दी। पुलिस ने उक्त जानकारी को जनरल डायरी में रोज़नामचा संख्या-14, दिनांक 30.04.2009 को सुबह 10:30 बजे दर्ज किया और उसके बाद, घटनास्थल पर आगे बढ़ी।

3. पहुंचने पर, पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में ले लिया और एक "पंचायतनामा" आयोजित की, जिसमें सभी सदस्यों (पंचों) ने सर्वसम्मति से कहा कि मृतक की मृत्यु अप्राकृतिक प्रतीत होती है और इसलिए, मृत्यु के वास्तविक कारण का पता लगाने के लिए राय दी। इसके बाद मृतक के शव को शव परीक्षण के लिए जिला अस्पताल गोंडा भेज दिया गया। डा आरसी वर्मा (अ०सा०-9) ने 30-04-2009 को मृतक का शव परीक्षण किया और एक शव परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व आग्नेयास्त्र की चोटों के परिणामस्वरूप सदमा और रक्तस्राव के रूप में पता चला। उक्त शव परीक्षण रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर विभिन्न आंतरिक और बाहरी मृत्यु पूर्व चोटों का भी पता चला है।



4. शव परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श क-4) के बाद, पुलिस ने 01.05.2009 को धारा 302 भ०द०वि० के तहत अपराध संख्या 154/2009 दर्ज किया और मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान, विवेचनाधिकारी ने घटनास्थल से खून से सनी मिट्टी और सामान्य मिट्टी एकत्र की और घटना के समय मृतक द्वारा पहने गए कपड़ों को जब्त कर लिया और फिर उन्हें विश्लेषण के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला, लखनऊ भेज दिया। इसके अलावा, विवेचनाधिकारी ने 02.05.2009 को धारा 161 द०प्र०स० के तहत गवाहों, अर्थात् ननका @ हिना (अ०सा०-1), श्रीमती अहमदा (अ०सा०-2), रमजन-गांव चौकीदार (अ०सा०-3) और मुनव्वर के बयान दर्ज किए।

5. अपीलकर्ता का बयान 03.05.2009 को धारा 161 द०प्र०स० और 01.06.2009 को श्याम धर पांडे (अ०सा०-6), कृष्ण देव शुक्ला (अ०सा०-4) के बयान के तहत दर्ज किया गया था।

6. इसके बाद, 07.06.2009 को यानी एक महीने से अधिक समय के बाद, अपीलकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खुलासे पर, पुलिस ने एक देशी निर्मित 12 बोर कट्टा बरामद किया, जिसका उपयोग उसके द्वारा बाबू खान के कृषि क्षेत्र से मृतक की हत्या का अपराध करने के लिए किया गया था। पुलिस ने उक्त कट्टा को अपने कब्जे में ले लिया और उसे विधि विज्ञान प्रयोगशाला, लखनऊ भेज दिया और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 161 के तहत सिद्धीक और विक्रम (अ०सा०-7) के गवाह का बयान दर्ज किया।

7. जांच पूरी होने के बाद विवेचनाधिकारी ने अपीलकर्ता/अभियुक्त के खिलाफ पर्याप्त आपत्तिजनक सामग्री पाई और इसलिए धारा 302 भ०द०वि० के तहत मुकदमे के लिए उसके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गोंडा ने अपराध का संज्ञान लिया और दिनांक 12-11-2009 के आदेश के तहत मामले को सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए प्रस्तुत किया। परिणामस्वरूप, सत्र परीक्षण संख्या 371/2009 दर्ज की गई।

विचारण न्यायालय के समक्ष कार्यवाही

8. सत्र न्यायालय ने दिनांक 14.12.2009 के आदेश के तहत अपीलकर्ता के खिलाफ उसकी पत्नी-हसीना बानो की हत्या का अपराध करने के लिए धारा 302 भ०द०वि० के तहत आरोप तय किया। हालाँकि, अपीलकर्ता ने आरोप से इनकार किया और मुकदमे का दावा किया। इसलिए, मामले को विचारण के लिए लिया गया था।



9. मुकदमे के दौरान, अपीलकर्ता की दोनों बेटियों सुश्री ननका @ हीना (अ०सा०-1) और श्रीमती अहमदा (अ०सा०-2) ने अपने बयान में कहा कि मृतक-हसीना बानो की हत्या श्री बाबू, श्री मुन्नवर और श्री शाकिर अली द्वारा की गई थी, जो सभी एक ही गांव के निवासी थे, पूर्व भूमि विवाद के कारण। मुकदमे के दौरान दर्ज किए गए उक्त बयान के मद्देनजर, अभियोजन पक्ष ने उपरोक्त तीन व्यक्तियों को तलब करने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए धारा 319 द०प्र०स० के तहत एक आवेदन दायर किया। विचारण न्यायालय ने उक्त आवेदन को स्वीकार कर लिया और उन्हें मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया। उनकी उपस्थिति पर, विचारण न्यायालय ने दिनांक 30.03.2010 के आदेश के माध्यम से, नए जोड़े गए अभियुक्तों के खिलाफ धारा 302 भ०द०वि० के तहत मृतक की हत्या का अपराध करने के लिए आरोप तय किया, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया और मुकदमे के लिए दावा किया।

10. अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप साबित करने के लिए मुकदमे के दौरान निम्नलिखित गवाहों की जांच की:

क्रम संख्या	नाम	अ०सा०-	भूमिका
1	ननका @ हीना	अ०सा०-1	तथ्य का गवाह/मृतक की बेटी (चश्मदीद गवाह)
2	श्रीमती अहमदिया	अ०सा०-2	तथ्य का गवाह/मृतक की बेटी (चश्मदीद गवाह)
3	रमज़ान	अ०सा०-3	सूचनाकर्ता (गांव चौकीदार)
4	कृष्ण देव शुक्ल	अ०सा०-4	तथ्य का गवाह (सलीम के साथ बेटी-अ०सा०-आई की कोर्ट मैरिज)
5	लक्ष्मी नारायण शुक्ल	अ०सा०-5	तथ्य का गवाह
6	श्यामधर पांडे	अ०सा०-6	अपीलकर्ता की अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति साबित करने के लिए
7	विक्रम	अ०सा०-7	आग्नेयास्त्र की वसूली को साबित करने के लिए
8	केशरी प्रसाद	अ०सा०-8	जांच रिपोर्ट को साबित करने के लिए
9	डॉ. आर.सी. वर्मा	अ०सा०-9	चिकित्सा अधिकारी शव परीक्षण के आचरण और रिपोर्ट को साबित करेंगे

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10	कांस्टेबल दानबहादुर सिंह	अ०सा०- 10	अपराध संख्या 154/2009 के मामले को साबित करने के लिए
11	एस.आई. शशिकांत मिश्रा	अ०सा०- 11	विवेचनाधिकारी

11. अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में मौखिक साक्ष्य के अलावा, विभिन्न दस्तावेजों को भी प्रदर्शित किया गया है और प्रदर्श क-1 से प्रदर्श क-15 और सामग्री प्रदर्श-1 से प्रदर्श-3 तक चलने वाले साबित हुए हैं।

12. अ०सा०-1, सुश्री ननका उर्फ हिना अपीलकर्ता की बेटी है। अ०सा०-1 ने अपनी मुख्य परीक्षा में गवाही दी कि घटना की तारीख पर, परिवार के सभी सदस्य घर की छत पर सो रहे थे, जबकि मृतक भूतल पर एक कमरे में सो रहा था। रात करीब 12:00 बजे एक धमाके जैसी आवाज आई, जिसे सुनकर अ०सा०-1 सीढ़ियों से नीचे आया और अपनी टॉर्च चालू कर दी। टॉर्च की उक्त रोशनी में उसने बाबू, मुन्नव्वर और शाकिर अली को घटनास्थल से भागते देखा। घटना के कुछ ही समय बाद, तीनों उपरोक्त व्यक्ति अपने कपड़े बदलकर लौट आए और एक कब्र खोदने लगे, यह कहते हुए कि मृतक को तुरंत दफना दिया जाना चाहिए, अन्यथा मामला पुलिस के मामले में बदल जाएगा और आप सभी फंस जाएंगे। अ०सा०-1 ने आगे गवाही दी कि अपीलकर्ता का उपरोक्त व्यक्तियों के साथ भूमि विवाद था और उक्त विवाद के कारण, उनके उसके परिवार के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध थे। उसने अपनी मुख्य परीक्षा में यह भी गवाही दी कि पहले एक अवसर पर, उक्त व्यक्तियों ने मृतक के हाथ तोड़े थे और घर में आग भी लगा दी थी और उसके संबंध में एक मामला अभी भी लंबित था। अ०सा०-1 के अनुसार, उक्त दुश्मनी के कारण ही बाबू, मुन्नव्वर और शाकिर अली ने उसकी मां की हत्या कर दी थी। गवाह ने आगे कहा कि वह अपने पिता के साथ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाना गई थी, हालांकि, पुलिस ने इसे दर्ज नहीं किया। उसने विशेष रूप से कहा कि अपीलकर्ता ने मृतक की हत्या नहीं की थी।

अपनी जिरह के दौरान, अ०सा०-1 ने कहा कि वह विस्फोट जैसी आवाज सुनकर जाग गई और जब तक वह मृतक हसीना बानो के पास पहुंची, तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। अ०सा०-1 ने स्वीकार किया कि उसने किसी को भी ध्वनि की तरह विस्फोट करते हुए नहीं देखा था। हालांकि, अ०सा०-1 ने अपनी जिरह में स्वीकार किया कि विवेचनाधिकारी ने घटना की अगली तारीख को

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उसका बयान दर्ज किया था, हालांकि, इस तथ्य से इनकार किया कि उसने धारा 161 द०प्र०स० के तहत दिए गए अपने उक्त बयान में बाबू, मुन्नवर और शाकिर अली के नाम का खुलासा नहीं किया था।

13. अभियोजन पक्ष ने सुश्री अहमदा को अ०सा०-2 के रूप में पेश किया। वह अ०सा०-1 की बड़ी बहन और अपीलकर्ता और मृतक की बेटी है। अ०सा०-2 ने अपनी गवाही में अ०सा०-1 के संस्करण का समर्थन किया और कहा कि मृतक की हत्या भूमि विवाद के कारण पड़ोसी बाबू, मुन्नवर और शाकिर अली ने की थी। इसके अलावा, अ०सा०-2 ने अपनी गवाही में कहा कि उसने बाबू, मुन्नवर और शाकिर अली को घटनास्थल से 10 फीट की दूरी से भागते हुए देखा और उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। अ०सा०-2 ने अ०सा०-1 की गवाही के विपरीत, बम विस्फोट आदि जैसी किसी भी ध्वनि को सुनने की किसी भी घटना से इनकार किया। हालांकि, अ०सा०-2 ने अपनी जिरह में स्वीकार किया कि श्री कृष्ण देव शुक्ला ने अ०सा०-1 (हिना) के अदालती विवाह के मुद्दे के संबंध में उनके विवाद पर अपने माता-पिता की मध्यस्थता और परामर्श दिया था, हालांकि, साथ ही उसने इस बात से इनकार किया कि घटना से पहले उसके माता-पिता के बीच कोई विवाद था।

14. अभियोजन पक्ष ने गांव के चौकीदार और मामले के सूचनाकर्ता श्री रमजान से अ०सा०-3 के रूप में पूछताछ की। अपनी गवाही में, उक्त अ०सा०- ने कहा कि मृतक की मृत्यु सुनकर, वह अपीलकर्ता के घर गया, जहां मृतक एक सफेद चादर से ढका हुआ मृत पड़ा था। चादर पर खून के सने थे। जिज्ञासु होने के नाते, अ०सा०-3 ने अपीलकर्ता से मृत्यु के कारण के बारे में पूछताछ की। अपीलकर्ता ने कहा कि मृतक हैजा और लगातार उल्टी से पीड़ित था। उन्होंने यह भी बताया कि मृतक छत/छत से नीचे गिर गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई। उक्त गवाह के अनुसार, चूंकि परिस्थितियाँ संदिग्ध लग रही थीं, इसलिए उसने अपीलकर्ता और अन्य लोगों को कब्र खोदने से रोका और पुलिस को घटना के बारे में सूचित किया। अ०सा०-3 ने 30.04.2009 (प्रदर्श क-1) को पुलिस को उनके द्वारा दी गई मूल जानकारी रोज़नामचा संख्या-14 साबित कर दी है।

अ०सा०-3 ने अपनी जिरह में गवाही दी कि अपीलकर्ता और उसके रिश्तेदार मृतक के शव को दफनाकर मामले को सुलझाने का इरादा रखते थे। उन्होंने आगे गवाही दी कि मृतक हसीना बानो और आरोपी व्यक्ति बाबू, मुन्नवर और शाकिर अली ग्राम समाज की जमीन के एक छोटे से टुकड़े को लेकर झगड़ा करते थे, हालांकि, बाबू, मुन्नवर और शाकिर अली ने उक्त भूमि विवाद के कारण मृतक की हत्या नहीं की है। अ०सा०-3 ने अपनी जिरह में आगे गवाही दी कि अपीलकर्ता ने अपनी



गिरफ्तारी के बाद पुलिस के समक्ष हत्या का अपराध स्वीकार किया था, और अ०सा०-3 संबंधित समय पर उपस्थित था। उन्होंने यह भी कहा कि अपीलकर्ता के उक्त इकबालिया बयान के अनुसार, अपीलकर्ता के प्रकटीकरण/पहचान पर एक बन्दूक बरामद की गई थी।

15. अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता के गांव से संबंधित श्री कृष्ण देव शुक्ला को अ०सा०-4 के रूप में पेश किया। श्री शुक्ला ने अपनी गवाही में कहा कि अपीलकर्ता ने 31.05.2009 को श्री श्यामधर पांडे (अ०सा०-6) के समक्ष हत्या का अपराध कबूल कर लिया था। उन्होंने आगे गवाही दी कि अ०सा०-6 के समक्ष दिए गए उक्त न्यायेतर स्वीकारोक्ति बयान में, अपीलकर्ता ने स्वीकार किया कि उसने अपनी बेटी हिना की शादी से संबंधित विवाद के बाद गुस्से में अपनी पत्नी यानी मृतक की हत्या कर दी थी। अ०सा०-4 ने यह भी गवाही दी कि अपीलकर्ता और मृतक के बीच अपनी बेटी हिना की शादी के मुद्दे पर तनावपूर्ण संबंध थे। उन्होंने यह भी गवाही दी कि अपीलकर्ता अपनी बेटी हिना (अ०सा०-1) की शादी श्री सुबरती के बेटे श्री सलीम के साथ करने के खिलाफ था, जबकि मृतक सलीम के साथ हिना की शादी करने के लिए तैयार था। अ०सा०-4 ने अपने आगे के बयान में कहा कि मृतक सुश्री हसीना बानो के अनुरोध पर, उन्होंने अपनी बेटी हिना (अ०सा०-1) की शादी के संबंध में घटना की तारीख से एक दिन पहले अपीलकर्ता और मृतक के बीच परामर्श और मध्यस्थता करने का प्रयास किया था।

16. श्री लक्ष्मी नारायण शुक्ल की अ०सा०-5 के रूप में जांच की गई। अपनी गवाही में, इस गवाह ने कहा है कि मृतक की मृत्यु के बारे में जानने पर, वह लगभग 7:30 बजे अपीलकर्ता के घर पहुंचा। उस समय किसी को भी पता नहीं था कि हत्या किसने की है। उन्होंने आगे गवाही दी कि अपीलकर्ता की बेटियों ने उक्त अपराध के कमीशन में किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिया था या उन्हें फंसाया नहीं था।

17. वर्तमान ग्राम प्रमुख के पुत्र श्री श्यामधर पांडेय की जांच अ०सा०-6 के रूप में की गई। श्री पांडे ने अपनी गवाही में कहा कि मृतक की मृत्यु के बारे में जानने पर, वह अपीलकर्ता के घर गए और मृतक को मृत पाया। उन्होंने आगे गवाही दी कि जब उन्होंने मृत्यु के कारण के बारे में पूछताछ की, तो अपीलकर्ता ने उन्हें सूचित किया कि मृतक की मृत्यु छत से गिरने के बाद हुई थी। हालाँकि, मृतक के शरीर पर बन्दूक की चोट को देखते हुए, अ०सा०-6 ने अपीलकर्ता को शव को दफनाने की सलाह नहीं दी और पुलिस को घटना के बारे में सूचित करने की सलाह दी। इसके बाद, अ०सा०-6 अपने दिन-प्रतिदिन के कर्तव्य में भाग लेने के लिए आगे बढ़े। अ०सा०-6 ने आगे



गवाही दी कि घटना के लगभग एक महीने बाद, अपीलकर्ता उससे मिलने आया और कबूल किया कि उसने अपनी पत्नी को गोली चलाकर मार डाला था और उसे बचाने का अनुरोध किया था। हत्या करने के कारण के बारे में पूछे जाने पर, अपीलकर्ता ने कहा कि उसकी पत्नी उसकी इच्छा के विरुद्ध अपनी बेटी की शादी करने का इरादा कर रही थी, जिसके कारण विवाद हुआ, और गुस्से में उसने हत्या कर दी थी। चूंकि, अपीलकर्ता ने अपराध किया था, अंसा०-6 ने उसे कोई मदद देने से इनकार कर दिया। अंसा०-6 ने इस सुझाव से इनकार किया कि बाबू, मुन्नव्वर और शाकिर अली ने किसी भी पूर्व भूमि विवाद के कारण मृतक की हत्या की थी, या वोट-लिस्ट में अधिक सदस्य होने के कारण।

18. इसके बाद, अभियोजन पक्ष ने श्री विक्रम को अंसा०-7 के रूप में पेश किया। उक्त गवाह ने अपनी गवाही में कहा कि अपीलकर्ता को पुलिस द्वारा 07.06.2009 को गिरफ्तार किया गया था और उसके प्रकटीकरण बयान और पहचान के अनुसार, सह-अभियुक्तों में से एक बाबू के भूलभुलैया के खेत से खोदे जाने के बाद 12 बोर का कट्टा (देशी निर्मित पिस्तौल) बरामद किया गया था। उक्त कट्टा को एक पॉलिथीन में लपेटा गया था और उसकी उपस्थिति में बरामद किया गया था। अंसा०-7 ने उपरोक्त बन्दूक की बरामदगी की पहचान की और उसे साबित किया और फ़र्द बरामदगी पर संलग्न उसके हस्ताक्षर की भी पहचान की, जिसे प्रदर्शक 2 के रूप में प्रदर्शित किया गया था।

19. श्री केसरी प्रसाद को अभियोजन पक्ष द्वारा अंसा०-8 के रूप में पेश किया गया था। उन्होंने गवाही दी कि पुलिस ने आकर मृतक के शव को अपने कब्जे में ले लिया और उसके बाद उनकी उपस्थिति में पंचायतनामा तैयार किया। अंसा०-8 ने पंचायतनामा (जांच रिपोर्ट) पर संलग्न अपने हस्ताक्षर की पहचान की, जिसे प्रदर्शक 3 के रूप में प्रदर्शित किया गया था। उन्होंने आगे गवाही दी कि अपीलकर्ता तब मौजूद था जब शव को सील कर दिया गया था और पुलिस द्वारा पंचायतनामा तैयार किया गया था।

20. अभियोजन पक्ष ने शव परीक्षण रिपोर्ट को साबित करने के लिए डॉ. आर.सी. वर्मा, वरिष्ठ सलाहकार, जिला अस्पताल, गोंडा की जांच अंसा०-9 के रूप में की। अंसा०-9 ने अपनी गवाही में कहा कि 30.04.2009 को कांस्टेबल सेवालाल और होमगार्ड गंगेश पांडे मृतक हसीना बानो के शव को शव परीक्षण के लिए लाए। शव को विधिवत सील कर दिया गया और उसकी उपस्थिति में सील खोली गई। शव की शिनाख्त उक्त पुलिस कर्मियों ने कर ली। अंसा०-9 ने आगे कहा कि



मृतक सामान्य शरीर की थी और उसने गवाही दी कि उसके शरीर पर शव परीक्षण से पहले की चोटें पाई गईं:

- i. छाती के दाईं ओर, दाहिनी मध्य-हंसली की हड्डी से 5 सेमी नीचे 3 x 2.5 सेमी गहरा आग्नेयास्त्र का घाव काला और टैटू गुदवाने के साथ।
- ii. आग्नेयास्त्र की चोट ऊपरी होंठ के दाईं ओर मांस तक 3 x 2.5 सेमी गहरी होती है, जो दाहिने नथुने के ठीक नीचे होती है। काला करना और गोदना मौजूद था।
- iii. मांस पर 4 x 5 सेमी गहरा घाव चेहरे के दाईं ओर, मुंह के कोण के ठीक नीचे था।

अंसा०-9 ने गवाही दी कि जहां तक आंतरिक चोट का संबंध है, फुफ्फुस फट गया था। छाती गुहा में लगभग दो लीटर रक्त पाया गया। पेट में 200 ग्राम अपचित गूदा था। गर्भाशय खाली था। मृतक की मृत्यु का समय एक दिन के भीतर था।

अंसा०-9 ने कहा कि मृतक की मृत्यु मृत्यु पूर्व शॉक और अत्यधिक रक्तस्राव के कारण हुई। जहां तक मृत्यु के समय का संबंध है, उक्त अंसा०- ने गवाही दी कि मृतक की मृत्यु वर्ष 29/30 अप्रैल, 2009 की रात के दौरान हो सकती है। अंसा०-9 ने बताया कि शव परीक्षण किया गया और रिपोर्ट शाम 4:45 बजे तैयार की गई। मृतक के सीने के पीछे की तरफ से एक बड़ी गोली बरामद की गई है। अंसा०-9 ने शव परीक्षण रिपोर्ट की पहचान की और उस पर संलग्न उनके हस्ताक्षर किए, जिसे प्रदर्शक-4 के रूप में प्रदर्शित किया गया है।

आरोपी बाबू, मुनावर और शाकिर अली की ओर से पेश हुए अधिवक्ता द्वारा की गई अपनी जिरह के दौरान, अंसा०-9 ने गवाही दी कि चोट संख्या 1 और 2 तब हो सकती है जब आग्नेयास्त्र को तीन फीट के भीतर से, यानी बहुत करीब से दागा जाता है। उन्होंने आगे गवाही दी कि उक्त दोनों चोटें एक ही बन्दूक के कारण हो सकती हैं। उक्त गवाह ने यह भी गवाही दी कि चोट संख्या 3 किसी कठोर वस्तु पर गिरने के कारण हो सकती है। दिलचस्प बात यह है कि अपीलकर्ता द्वारा कोई जिरह नहीं की गई, हालांकि उसे अवसर दिया गया था।

21. कटरा बाजार थाना में तैनात एक मोहर्रिर कांस्टेबल दानबहादुर सिंह की जांच अभियोजन पक्ष द्वारा अंसा०-10 के रूप में की गई थी। अंसा०-10 ने अपनी गवाही में गवाही दी कि शव परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उसके द्वारा 01.05.2009 को धारा 302 भ०द०वि० के तहत अपराध मामला संख्या 154/09 दर्ज किया गया था और वह थानाध्यक्ष उन्होंने मूल रोज़नामचा प्रविष्टि



को साबित किया और उस पर संलग्न अपने हस्ताक्षर की पहचान की, जिसे प्रदर्शक 5 के रूप में प्रदर्शित किया गया है।

22. मामले के विवेचनाधिकारी एस.आई. शाहसीकांत शर्मा अ०सा०-11 के रूप में पेश हुए। उन्होंने गवाही दी कि उन्होंने मामले की जांच की थी। उन्होंने विभिन्न फ़र्द बरामदगी पर संलग्न अपने हस्ताक्षरों की पहचान की और इसे साबित किया। उन्होंने आगे गवाही दी कि अपराध स्थल का नक्शा नज़री उनके द्वारा तैयार किया गया था और उस पर संलग्न उनके हस्ताक्षर की पहचान की गई थी। अ०सा०-11 ने प्रदर्शक 6 से प्रदर्शक 15 और सामग्री प्रदर्शक 1 से अनुच्छेद प्रदर्शक 3 तक चलने वाले विभिन्न दस्तावेजों का प्रदर्शन और प्रमाण किया। एस.आई. शाहसीकांत शर्मा ने गवाही दी कि अपीलकर्ता या उसके परिवार के किसी सदस्य ने पुलिस को घटना की सूचना नहीं दी थी और यह कि घटना की सूचना गांव के चौकीदार - श्री रमजान (अ०सा०-3) ने दी थी। उन्होंने आगे गवाही दी कि जब वह मौके पर पहुंचे, तो उन्होंने पाया कि अपीलकर्ता ने मृतक को दफनाने के लिए एक कब्र खोदी थी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर पंचायतनामा तैयार किया है। इसके बाद मृतक के शव को शव परीक्षण के लिए जिला अस्पताल गोंडा भेज दिया गया। इसके बाद, गवाहों के बयान दर्ज किए गए और जांच के दौरान, अपीलकर्ता को 07.06.2009 को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद, अपीलकर्ता द्वारा दिए गए एक प्रकटीकरण बयान के अनुसार और अपराध करने में इस्तेमाल की गई एक बन्दूक (देशी निर्मित पिस्तौल/कट्टा) बरामद की गई। जांच पूरी होने पर अपीलकर्ता के खिलाफ पर्याप्त आपत्तिजनक सामग्री पाई गई और इसलिए, उसके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया।

जिरह के दौरान, अ०सा०-11 ने गवाही दी कि अपराध स्थल का नक्शा नज़री तैयार करने के समय अपीलकर्ता के परिवार के सभी सदस्य मौजूद थे। उन्होंने आगे गवाही दी कि उन्होंने जांच के दौरान अपीलकर्ता की दोनों बेटियाँ सुश्री हिना (अ०सा०-1) और सुश्री अहमदा (अ०सा०-2) का बयान दर्ज किया था, हालांकि, अपने बयान में उन्होंने मृतक हसीना बानो की हत्या के लिए बाबू, मुनव्वर और शाकिर अली का नाम नहीं लिया था।

23. अभियोजन पक्ष के गवाह के निष्कर्ष के बाद, अपीलकर्ता और अन्य आरोपी व्यक्तियों का बयान 17.01.2011 को धारा 313 द०प्र०स० के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने वर्तमान घटना में शामिल होने के लिए विभिन्न परिस्थितियों से इनकार किया और दावा किया कि उनके खिलाफ आरोप झूठे और प्रेरित हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



24. अपीलकर्ता सहित किसी भी आरोपी व्यक्ति ने अपने पक्ष में कोई बचाव पक्ष का गवाह पेश नहीं किया।

25. विचारण न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पेश किए गए सबूतों के अवलोकन के बाद, यह निष्कर्ष निकाला कि अपीलकर्ता/अभियुक्त ने धारा 302 भ०द०वि० के तहत हत्या का अपराध किया है और तदनुसार, अपीलकर्ता को दोषी ठहराया और उसे जुर्माने के भुगतान में चूक के मामले में आजीवन कारावास और 10,000/- रुपये के जुर्माने की सजा काटने का निर्देश दिया, अपीलकर्ता को एक वर्ष के साधारण कारावास से गुजरने का निर्देश दिया गया है। हालांकि, निचली न्यायालय ने नए आरोपियों बाबू, मुन्नव्वर और शाकिर अली को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।

26. व्यथित होने के कारण, अपीलकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष धारा 374(2) द०प्र०स० के तहत प्रस्तुत अपील को प्राथमिकता दी है।

इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही

27. प्रस्तुत अपील के लंबित रहने के दौरान, अपीलकर्ता 22.09.2011 से जेल में है यानी 14 साल से अधिक और बिना छूट के चार महीने से जेल में है।

28. अपीलकर्ता के पहले जमानत आवेदन को इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा सी.एम. आवेदन संख्या 103783 वर्ष 2011 में पारित दिनांक 26.11.2018 के आदेश द्वारा अभियोजन के अभाव में खारिज कर दिया गया था।

29. दूसरा जमानत आवेदन (सी.एम. आवेदन संख्या 174728 वर्ष 2021) दिनांक 03.03.2022 के एक आदेश के माध्यम से गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दिया गया था। तीसरी जमानत याचिका को भी इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा सी.एम. आवेदन संख्या 08 वर्ष 2022 में पारित दिनांक 24.05.2022 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया। हालाँकि, जब चौथा जमानत आवेदन (सी.एम. आवेदन संख्या 09 वर्ष 2023) 31.10.2025 को सुनवाई के लिए आया, तो अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने अपनी जमानत याचिका पर जोर देने के बजाय गुण-दोष के आधार पर अपनी अंतिम दलीलों को संबोधित करने का फैसला किया और इस तरह इस न्यायालय ने अपीलकर्ता के अधिवक्ता और राज्य के अधिवक्ता दोनों को सुना और दिनांक 31.10.2025 के



एक आदेश के माध्यम से प्रस्तुत अपील को निर्णय के लिए सुरक्षित रखा, अपीलकर्ता के चौथे जमानत आवेदन को खारिज करते हुए, दबाव नहीं डाला जा रहा है।

पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत किया गया निवेदन

30. राज्य के लिए सुश्री मीरा त्रिपाठी, एलडी अपर शासकीय अधिवक्ता के साथ-साथ अपीलकर्ता के अधिवक्ता श्री कैलाश नाथ मिश्रा की प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को सुना।

31. अपीलकर्ता के अधिवक्ता श्री कैलाश नाथ मिश्रा ने प्रस्तुत किया कि दिनांक 22.09.2011 का आक्षेपित निर्णय अवैध, विकृत है और केवल अनुमानों और अटकलों पर पारित किया गया है। वह प्रस्तुत करता है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान में बड़े विरोधाभास हैं। कि न तो किसी ने अपीलकर्ता को कथित अपराध करते हुए देखा है और न ही अपीलकर्ता द्वारा ऐसा अपराध करने का कोई कारण या मकसद है। श्री मिश्रा ने आगे प्रस्तुत किया है कि विचारण न्यायालय ने गलती से माना है कि मृतक अपनी बेटी, सुश्री ननका @ हिना (अ०सा०-1) की शादी श्री सुबाराती के बेटे श्री सलीम से करने के लिए तैयार थी, जबकि अपीलकर्ता इस तरह के विवाह का विरोध कर रहा था, हालांकि तथ्य यह है कि अ०सा०-1 ने घटना से बहुत पहले ही कोर्ट मैरिज कर ली थी। इस प्रकार उनके अनुसार, अपीलकर्ता का विरोध, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा मृतक की हत्या करने के पीछे एक मजबूत मकसद के रूप में देखा गया है, तथ्यात्मक रूप से मौजूद नहीं था। अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय के उक्त निष्कर्ष को सुश्री ननका @ हिना (अ०सा०-1) की गवाही से झुठलाया जाता है, जिसमें उन्होंने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कहा है कि उनके माता-पिता दोनों सलीम के साथ उनकी शादी के पक्ष में थे। इसलिए, अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता-यासीन की ओर से अपनी पत्नी हसीना बानो की हत्या करने का कोई मकसद नहीं था।

32. अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि जहां तक अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति का संबंध है, यह श्री श्यामधर पांडे (अ०सा०-6) के समक्ष किया गया था। हालांकि, उक्त गवाह, विचारण न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य में, उस तारीख या दिन का खुलासा करने में विफल रहा है जिस दिन इस तरह का कथित अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति किया गया था। इसके अलावा, अपीलकर्ता के अधिवक्ता श्री मिश्रा ने अ०सा०-6 के बयान के इर्द-गिर्द एक कहानी बुनने की कोशिश की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी मां ग्राम प्रधान हैं और आरोपी बाबू और मुनव्वर के परिवार में लगभग बीस सदस्य हैं, जबकि अपीलकर्ता अकेला है। इस प्रकार, श्री मिश्रा के अनुसार, अपीलकर्ता

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



द्वारा की गई कथित अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति से संबंधित गवाही वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित प्रतीत होती है। इन परिस्थितियों में, उनके द्वारा यह तर्क दिया गया था कि अ०सा०-6 को एक स्वतंत्र या तटस्थ गवाह के रूप में नहीं माना जा सकता है। यह तर्क दिया गया है कि, किसी भी मामले में, अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति सबूत का एक बहुत ही कमजोर टुकड़ा है। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि जहां भी न्यायालय एक अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति के आधार पर दोषसिद्धि का इरादा रखता है, उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वही विश्वास को प्रेरित करता है और अन्य अभियोजन सबूतों द्वारा पुष्टि की जाती है और इस संबंध में **रामू अप्पा महापातर बनाम महाराष्ट्र राज्य, आपराधिक अपील संख्या 608 वर्ष 2013 में 2025 आई.एन.एस.सी. 147** के रूप में रिपोर्ट किया गया है; माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित किया गया, के फैसले पर भरोसा किया है। अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने आगे आग्रह किया है कि यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि श्यामधर पांडे (अ०सा०-6) का पुलिस के साथ कोई प्रभाव था या अपीलकर्ता को पुलिस के उत्पीड़न से बचाने के लिए कुछ स्थिति थी, इस तरह अपीलकर्ता के सामने अपना अपराध कबूल करने और उसे बचाने का अनुरोध करने का कोई कारण नहीं था। इस संबंध में भरोसा **माखन सिंह बनाम पंजाब राज्य ए.आई.आर. 1998 एस.सी. 1705** में रिपोर्ट के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर रखा गया है।

33. अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने हमले के हथियार की बरामदगी के मुद्दे को संबोधित करते हुए प्रस्तुत किया कि उक्त हथियार कथित तौर पर अपीलकर्ता की ओर इशारा करते हुए आरोपी बाबू के कृषि क्षेत्र से बरामद किया गया था। श्री विक्रम (अ०सा०-7) को अभियोजन पक्ष द्वारा उक्त बरामदगी के गवाह के रूप में पेश किया गया था। श्री विक्रम (अ०सा०-7) ने अपनी परीक्षा-इन-चीफ में कहा कि अपीलकर्ता ने खुद जमीन खोदी और हमले का हथियार पुलिस को सौंप दिया, जबकि अपनी जिरह में, उन्होंने यह कहकर उक्त संस्करण का खंडन किया कि हथियार दो पुलिस कर्मियों द्वारा खोदा गया था और उन्होंने हथियार विवेचनाधिकारी को सौंप दिया था। इसके अलावा, अ०सा०-7 ने गवाही दी कि हथियार घटना की तारीख से तीन से चार महीने की अवधि के बाद बरामद किया गया था, जबकि अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, वसूली 07.06.2009 को की जानी चाहिए यानी घटना की तारीख से एक महीने और सात दिनों के बाद। गवाह ने यह भी कहा है कि अपीलकर्ता यासीन, एक अन्य गवाह सिद्धीकी और विवेचनाधिकारी ने उसकी उपस्थिति में कथित हथियार की बरामदगी ज़ापन पर अपने हस्ताक्षर नहीं किए। उपरोक्त कमजोरियों को



ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष यह स्थापित करने में विफल रहा है कि हमले के हथियार की कथित बरामदगी अपीलकर्ता की ओर इशारा करने पर प्रभावित हुई थी। अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने आगे कहा कि शव परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार मृतक के शरीर में एक बड़ी गोली मिली थी, लेकिन मृतक के शव से कोई गोली बरामद नहीं हुई है। इसके अलावा, अधिवक्ता के अनुसार, कथित बरामद हथियार 12 बोर की देसी पिस्तौल है, क्योंकि शव परीक्षण रिपोर्ट में चोट अपीलकर्ता की ओर इशारा करते हुए कथित तौर पर बरामद किए गए हथियार से मेल नहीं खाती है। इसके अलावा, बैलिस्टिक रिपोर्ट में भी, विशेषज्ञ ने राय दी है कि यह निष्कर्ष निकालना असंभव है कि बरामद हथियार (कट्टा) का उपयोग केवल अपराध करने में किया गया था।

34. अंत में, अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत बोझ अपीलकर्ता पर नहीं डाला जा सकता है, खासकर जब इस आशय के सबूत हैं कि घटना के समय परिवार के कई अन्य सदस्य और रिश्तेदार मौजूद थे और अपीलकर्ता यासीन उनके साथ छत पर सो रहा था, जबकि मृतक कमरे के अंदर सो रहा था। अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि अ०सा०-1 और अ०सा०-2 ने अपनी गवाही में कहा है कि अपीलकर्ता उक्त बाबू, मुन्नवर और शाकिर अली के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए थाना गया था, हालांकि, पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की। इस प्रकार, अपीलकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि विचारण न्यायालय गलत तरीके से इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अपीलकर्ता ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत अपने बोझ का निर्वहन नहीं किया है। अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता के खिलाफ अभियोजन का पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है जो इतना पूर्ण नहीं है कि जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह केवल अपीलकर्ता है और किसी और ने मृतक की हत्या नहीं की होगी। अपीलकर्ता ने दिनेश कुमार यादव बनाम हरियाणा राज्य ए.आई.आर. 2023 एस.सी. 2795 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के सिद्धांत पर भरोसा किया है; जो **पप्पचन बनाम पुलिस उप-निरीक्षक और अन्य, 2016 (3) जे.आई.सी. 636 (एस.सी.); और नागेंद्र साह बनाम बिहार राज्य, (2021) 10 एस.सी.सी. 725** में रिपोर्ट किया गया।

35. तत्स्य विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित सुश्री मीरा त्रिपाठी, अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि अपीलकर्ता यासीन की पत्नी मृतक हसीना बानो की मृत्यु वर्ष 29/30.04.2009



की मध्यरात्रि के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी। मृतक को शारीरिक चोट लगी थी। हालांकि, इसके बावजूद अपीलकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों ने पुलिस को ऐसी कोई जानकारी दिए बिना या मृतक को डॉक्टर के पास ले जाने के बिना मृतक को दफनाने का प्रयास किया। घटना की सूचना ग्राम चौकीदार श्री रमजान (अ०सा०-3) ने थाना कटरा बाजार, जिला गोंडा को दी। अपर शासकीय अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि अपीलकर्ता ने जांच कार्यवाही में भाग नहीं लिया और किसी भी ऐसे कार्य में शामिल नहीं हुआ जो यह दर्शाता हो कि घटना के बाद, आरोपी मृतक को अस्पताल ले गया था या उसके इलाज के संबंध में किसी डॉक्टर से परामर्श किया था।

36. अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अ०सा०-3 (सूचनाकर्ता- श्री रमजान) की गवाही से यह स्पष्ट है कि सबसे पहले, अपीलकर्ता ने यह दावा करके एक झूठी कहानी पेश करने का प्रयास किया कि मृतक हैजा से पीड़ित थी जिसके कारण वह लगातार उल्टी कर रही थी और इसके कारण, वह छत से नीचे गिर गई, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। दूसरे, जब इस संस्करण का सार्वजनिक रूप से खुलासा किया गया, तो मृतक के रिश्तेदारों के साथ-साथ अभियुक्त/अपीलकर्ता दोनों ने मृतक के लिए कब्र खोदने से इनकार कर दिया, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अपीलकर्ता द्वारा सुनाई गई बात को मौके पर मौजूद लोगों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। तीसरा, सूचनाकर्ता के संज्ञान में आया कि घटना की तारीख को मृतक और अपीलकर्ता/आरोपी के बीच बेटे की शादी के संबंध में झगड़ा हुआ था, अर्थात् हीना, जो स्पष्ट रूप से मृतक के कारण होने वाले उद्देश्य को स्थापित करता है। अंत में, अ०सा०-3 ने भी देश में बनी पिस्तौल की बरामदगी की विधिवत पुष्टि की है, जिससे फ़र्द बरामदगी की पुष्टि हुई है।

37. अपर शासकीय अधिवक्ता ने उद्देश्य के बिंदु पर जोर देते हुए प्रस्तुत किया कि श्री कृष्ण देव शुक्ला (अ०सा०-4) ने अपनी गवाही में स्पष्ट रूप से कहा है कि मृतक और अपीलकर्ता/अभियुक्त के बीच कुछ विवाद चल रहा था, जिसे अ०सा०-4 को किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं मृतक ने बताया था, जब वह 29.04.2009 को सुबह उक्त अ०सा०-4 के घर गई थी। उसने प्रस्तुत किया कि अ०सा०-4 की गवाही अपीलकर्ता के मकसद की पुष्टि करती है।

38. अपर शासकीय अधिवक्ता ने अपनी समापन प्रस्तुतियों में तर्क दिया कि प्रस्तुत मामले में परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला पूरी तरह से पूरी तरह से पूरी है। यह प्रस्तुत किया गया था कि मृतक को घर के अंदर गोली मार दी गई थी जब अपीलकर्ता घर में मौजूद था; मृतक को कभी

भी चिकित्सा उपचार के लिए किसी अस्पताल में नहीं ले जाया गया; आरोपी ने यह दावा करके एक झूठी कहानी बनाई कि मृतक हैजा से पीड़ित था और छत से गिरने के बाद उसे चोटें आई थीं; संबंधित अधिकारियों को उनकी मौत के बारे में कभी सूचित नहीं किया गया। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आरोपी का अपराध करने का स्पष्ट उद्देश्य था क्योंकि घटना से एक दिन पहले मृतक और आरोपी के बीच उनकी बेटी की शादी के संबंध में विवाद हुआ था। अभियुक्त के कहने पर बन्दूक की बरामदगी भी विधिवत साबित हुई, और मृतक द्वारा लगी बन्दूक की चोट ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि गोली करीब से चलाई गई थी, जिससे अभियोजन पक्ष के संस्करण की पुष्टि हुई। इसके अलावा, जब धारा 313 द०प्र०स० के तहत जांच की गई, तो अपीलकर्ता/आरोपी अपने खिलाफ दिखाई देने वाली आपत्तिजनक परिस्थितियों के संबंध में कोई उचित या बोधगम्य स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में विफल रहा।

39. सुश्री मीरा त्रिपाठी ने आगे जोरदार तर्क दिया है कि उपरोक्त परिस्थितियों में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106 के तहत अभियुक्त पर बोझ सही ढंग से स्थानांतरित किया गया था, जिसे कभी भी निर्वहन नहीं किया गया था। यह आग्रह किया गया था कि आरोपी उसी स्थान पर मौजूद था जहां मृतक की मृत्यु हुई थी और इसलिए वह विशेष रूप से उसकी जानकारी में तथ्यों की व्याख्या करने के लिए बाध्य था; हालांकि, आरोपी की ओर से ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। उन्होंने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह से परे अपने मामले को सफलतापूर्वक साबित कर दिया है और आरोपी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत उस पर डाले गए अपने बोझ का निर्वहन करने में विफल रहा है। राज्य के अधिवक्ता ने बलवीर सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के सिद्धांतों **राम गोपाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2023) 5 एस.सी.सी. ऑनलाइन 158** में रिपोर्ट किया गया, पर भी भरोसा किया है।

विश्लेषण और निष्कर्ष

40. हमने पक्षगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर अपना विचारशील विचार किया है और अभिलेखों पर पूरे साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है। यह एक स्वीकृत स्थिति है कि घटना का कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं है और अभियोजन पक्ष का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर करता है। यह अच्छी तरह से तय है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर एक मामले में, अभियोजन पक्ष को परिस्थितियों की एक पूरी श्रृंखला स्थापित करनी चाहिए जो



अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करती है और उसकी बेगुनाही के अनुरूप हर संभव परिकल्पना को बाहर करती है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा किसी मामले को साबित करने के लिए आवश्यक सबूत के मानक पर कानून अब पूर्णांक नहीं है।

41. कानून यह है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में, साबित करने का बोझ अभियोजन पक्ष पर है और अभियोजन पक्ष को यह दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री अभिलेखों पर लाकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करना होगा कि परिस्थितियां अभियुक्त की बेगुनाही के साथ असंगत हैं और अभियुक्त के अपराध के संबंध में अप्रतिरोध्य निष्कर्ष की ओर ले जाती हैं। सिद्धांतों को **एसडी सोनी बनाम एस.डी. गुजरात राज्य, 1992** में रिपोर्ट किया गया पूरक (1) एस.सी.सी. 567 और **भारत संघ बनाम जेएस बराड़, (1993) 1 एस.सी.सी. 176** में रिपोर्ट किया गया। इसके अलावा, तरसीम कुमार बनाम दिल्ली प्रशासन के मामले में, 1994 में रिपोर्ट किया गया पूरक (3) एस.सी.सी. 367; माननीय न्यायमूर्ति द्वारा यह माना गया है कि जब अभियोजन पक्ष का मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित होता है, तो न्यायालय को संतुष्ट होना चाहिए:

"(i) कि जिस परिस्थिति से अपराध का ऐसा निष्कर्ष निकाला जाना है, वह पूरी तरह से स्थापित हो गई है; तथा

(ii) इस प्रकार स्थापित सभी तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप हैं और वे किसी अन्य परिकल्पना को बाहर नहीं करते हैं, सिवाय उस परिकल्पना को जिसे साबित करने की मांग की गई है; तथा

(iii) जिन परिस्थितियों पर भरोसा किया गया है, वे प्रकृति में निर्णायक हैं; तथा

(iv) साक्ष्य की श्रृंखला ऐसी है कि अभियुक्त की बेगुनाही के अनुरूप निष्कर्ष के लिए किसी भी उचित आधार की कोई गुंजाइश नहीं है।

इस निर्णय में माननीय न्यायमूर्ति द्वारा यह भी देखा गया है कि:

“7. जहां अभियोजन पक्ष प्रत्यक्ष साक्ष्य, मौखिक या दस्तावेजी के आधार पर अभियुक्त के खिलाफ आरोप साबित करने का इरादा रखता है, तो इस तरह से प्रस्तुत किए गए सबूतों पर न्यायालय द्वारा अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त सिद्धांतों पर विचार किया जा सकता है, जिसमें यह भी शामिल है कि घटना की प्राथमिकी कब दर्ज की गई थी, क्या आरोपी का नाम उसमें था और मामले में जिस घटना का खुलासा किया जा रहा है,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उसका संस्करण प्राथमिकी में प्रकट किया गया था या नहीं, अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करने वाले गवाह भरोसेमंद हैं या नहीं। लेकिन परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर एक मामले में, जब न तो अभियुक्त को पता होता है और न ही पीड़ित से जुड़े व्यक्तियों को घटना के तरीके का पता होता है, यहां तक कि ऐसे मामलों के संबंध में प्राथमिकी भी कई मामलों में काफी देरी के बाद दर्ज की जाती है, क्योंकि एक अपराध स्वयं किया गया है, किसी को पता नहीं होता है। जांच के दौरान आईओ द्वारा खोजी गई परिस्थितियों और मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा साबित की गई परिस्थितियों की अपराध का फैसला दर्ज करने या अभियुक्त को संदेह का लाभ देने के उद्देश्य से सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए।

8. आम तौर पर, हर आपराधिक कृत्य के पीछे एक मकसद होता है और यही कारण है कि जांच एजेंसी के साथ-साथ न्यायालय एक आरोपी की मिलीभगत की जांच करते समय यह पता लगाने की कोशिश करती है कि आरोपी की ओर से अपराध करने का मकसद क्या था। इस न्यायालय द्वारा बार-बार यह बताया गया है कि जहां अभियोजन पक्ष का मामला न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सामग्री के आधार पर सभी उचित संदेहों से परे साबित हो गया है, वहां मकसद अपना महत्व खो देता है। लेकिन ऐसे मामले में जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हैं, अभियुक्त की ओर से अपराध करने का मकसद अधिक महत्व रखता है। बेशक, यदि अभियोजन पक्ष की ओर से साबित की गई प्रत्येक परिस्थिति को न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष दर्ज करने के उद्देश्य से स्वीकार कर लिया जाता है कि यह अभियुक्त था जिसने प्रश्न में अपराध किया था, यहां तक कि इस तरह के अपराध के लिए एक मकसद के सबूत के अभाव में भी, आरोपी को दोषी ठहराया जा सकता है। लेकिन जांच एजेंसी के साथ-साथ न्यायालय को जहां तक संभव हो यह पता लगाना चाहिए कि आरोपी की ओर से तत्काल क्या प्रेरक मकसद था जिसके कारण उसने अपराध किया। (महत्व सन्निविष्ट)

42. प्रस्तुत मामले में, यह साबित हो गया है कि मृतक हसीना बानो की मृत्यु शव परीक्षण से पूर्व आग्नेयास्त्र की चोटों के परिणामस्वरूप एक हत्या की मौत हो गई थी। अ०सा०-9 (डॉ. आर.सी. शर्मा) के माध्यम से पेश किए गए चिकित्सा साक्ष्य अभियोजन पक्ष के संस्करण की पूरी तरह से



पुष्टि करते हैं और आकस्मिक या प्राकृतिक मृत्यु की किसी भी संभावना को खारिज करते हैं। चोटें करीब से लगी थीं और प्रकृति के सामान्य प्रविधि में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं।

43. यह भी निर्विवाद है कि वर्ष 29/30.04.2009 की रात के दौरान मृतका की मृत्यु वैवाहिक घर के अंदर हुई थी, जब अपीलकर्ता-पति घर में मौजूद था। घटना से पहले और बाद में अपीलकर्ता का आचरण, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 8 के मद्देनजर महत्व रखता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कहा गया है:

8. मकसद, तैयारी और पिछला या बाद का आचरण।

कोई भी तथ्य प्रासंगिक है जो मुद्दे या प्रासंगिक तथ्य में किसी भी तथ्य के लिए एक मकसद या तैयारी को दर्शाता है या उसका गठन करता है। किसी भी पक्ष का आचरण, या किसी भी पक्ष के किसी भी एजेंट का, किसी भी वाद या कार्यवाही के संदर्भ में, इस तरह के मुकदमे या कार्यवाही के संदर्भ में, या मुद्दे में किसी तथ्य के संदर्भ में या उससे संबंधित है, और किसी भी व्यक्ति का आचरण, जिसके खिलाफ किसी भी कार्यवाही का विषय है, प्रासंगिक है, यदि ऐसा आचरण मुद्दे या प्रासंगिक तथ्य में किसी तथ्य को प्रभावित करता है या प्रभावित करता है, और चाहे वह पहले था या उसके बाद में।

स्पष्टीकरण 1. - इस खंड में "आचरण" शब्द में कथन शामिल नहीं हैं; जब तक कि वे कथन बयानों के अलावा अन्य कृत्यों के साथ और व्याख्या नहीं करते हैं; लेकिन यह स्पष्टीकरण इस अधिनियम की किसी अन्य धारा के तहत बयानों की प्रासंगिकता को प्रभावित नहीं करता है।

स्पष्टीकरण 2. - जब किसी व्यक्ति का आचरण प्रासंगिक होता है, तो उसे या उसकी उपस्थिति और सुनवाई में दिया गया कोई भी बयान, जो इस तरह के आचरण को प्रभावित करता है, प्रासंगिक होता है।

जाहिर है, अपीलकर्ता ने न तो पुलिस को अपनी पत्नी की मृत्यु के बारे में सूचित किया, न ही उसे चिकित्सा उपचार के लिए किसी अस्पताल में ले गया, और इसके बजाय अंसा०-3 (सूचनाकर्ता) और अंसा०-11 (विवेचनाधिकारी) द्वारा बयान दिए गए शव को जल्दबाजी में दफनाने का प्रयास किया। इसके अलावा, हालांकि अंसा०-1 (सुश्री हिना @ ननका) और अंसा०-2 (सुश्री अहमदा), जो अपीलकर्ता की बेटियां हैं, ने अपनी गवाही में कहा है कि अपीलकर्ता ने घटना के बारे में रिपोर्ट



दर्ज करने के लिए कटरा बाजार थाना, गोंडा का दौरा किया था, हालांकि, उक्त गवाही उन कारणों से किसी भी विश्वास को प्रेरित नहीं करती है कि अ०सा०-2 ने अपनी जिरह में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि अपीलकर्ता का पुलिस के साथ कोई कटु संबंध नहीं था और न ही क्या अभिलेखों और गवाहों के बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस अपीलकर्ता द्वारा कथित रूप से दी गई घटना की रिपोर्ट दर्ज नहीं करने के लिए किसी भी बाहरी दबाव में काम कर रही थी। इसके अलावा, अ०सा०-3 (श्री रमजान), अ०सा०-4 (कृष्ण देव शुक्ला), अ०सा०-5 (लक्ष्मी नारायण शुक्ला) और अ०सा०-6 (श्यामधर पांडे) की गवाही की बारीकी से जांच से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता ने मृतक की मृत्यु की झूठी कहानी फैलाई कि मृतक की मृत्यु छत से गिरने के कारण हुई थी, जबकि शव परीक्षण रिपोर्ट में निर्णायक रूप से कहा गया है कि मृतक की मृत्यु उसके द्वारा प्राप्त मृत्यु पूर्व आग्नेयास्त्र चोटों के कारण हुई थी। अपीलकर्ता ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि उसने मृतक की मृत्यु के संबंध में ऐसा झूठा बयान क्यों दिया और मृतक को मिली आग्नेयास्त्र की चोटों को छिपाने की कोशिश की। अपीलकर्ता के ये आचरण उसके खिलाफ दृढ़ता से जाते हैं। इसके अलावा, अ०सा०-11 (विवेचनाधिकारी) के बयान में यह आया है कि जब वह अपीलकर्ता के घर गया जहां मृतक मृत पड़ा था, तो उक्त अ०सा ने पाया कि अपीलकर्ता ने मृतक को दफनाने के लिए पहले ही कब्र खोद दी थी।

44. इसलिए, यह निष्कर्ष निकालना सुरक्षित है कि अपीलकर्ता ने कभी भी पुलिस को घटना की सूचना नहीं दी थी और न ही वास्तव में पुलिस को इसकी सूचना दी थी और यह केवल अ०सा०-3 (श्री रमजान-गांव चौकीदार) द्वारा रिपोर्ट किया गया था और जाहिर तौर पर अ०सा०-1 और अ०सा०-2 द्वारा सामने रखी गई कहानी एक नौटंकी प्रतीत होती है। इसके अलावा, इस न्यायालय को यह अजीब लगता है कि यद्यपि अ०सा०-1 और अ०सा०-2 ने गुमराह करने की कोशिश की और तीन अन्य सह-अभियुक्तों यानी बाबू, मुन्नवर और शाकिर अली को मृतक की हत्या में शामिल होने के लिए नामित किया, हालांकि, न तो अभिलेखों पर कोई पुष्टिकरण सबूत है और न ही कोई परिस्थिति, जो यह दिखाती है कि उक्त अ०सा० घटना के समय जो सभी मौजूद थे, उन्होंने इन तीन व्यक्तियों को पकड़ने की कोशिश की या कोई शोर मचाया या कि इन लोगों के बीच हाथापाई हुई या इन तीनों में से कौन बंदूक ले जा रहा था यानी बाबू, मुन्नवर और शाकिर अली और बंदूक किसने चलाई। असंख्य प्रश्न हैं, जो अनुत्तरित हैं और बेटियों की पकी हुई कहानी की ओर इशारा करते हैं। इसके अलावा, जैसा कि एक पुरानी कहावत है, पुरुष झूठ बोल सकते हैं, लेकिन



परिस्थितियाँ वर्तमान तथ्यों पर पूरी तरह से लागू नहीं होती हैं, जिसमें अपीलकर्ता की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि जब अपीलकर्ता ने कोई अपराध नहीं किया था और यह उसके और उसकी बेटी के अनुसार कोई और था, तो अपीलकर्ता ने पहले स्थान पर पुलिस को सूचित क्यों नहीं किया और दूसरा, अपीलकर्ता ने मृतक को दफनाने के लिए कब्र क्यों खोदी थी, जैसा कि अ०सा०-3 और अ०सा०-11 द्वारा गवाही दी गई है। ये सभी तथ्य न केवल अ०सा०-1 और अ०सा०-2 की मनगढ़ंत कहानी पर छाया डालते हैं, बल्कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रासंगिक कारक भी हैं, जो अपीलकर्ता के दोषी दिमाग की ओर इशारा करते हैं।

45. इसके अलावा, अपीलकर्ता द्वारा अ०सा०-6 के समक्ष की गई गैर-न्यायिक स्वीकारोक्ति अपीलकर्ता के आचरण और चिकित्सा साक्ष्य सहित आसपास की परिस्थितियों से पुष्टि पाती है। हालांकि यह सच है कि न्यायेतर स्वीकारोक्ति सबूत का एक कमजोर टुकड़ा है, हालांकि सुप्रीम न्यायालय ने बार-बार माना है कि यह दोषसिद्धि का आधार बन सकता है जब यह विश्वास को प्रेरित करता है और अभिलेखों पर अन्य सामग्री द्वारा पुष्टि की जाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय के पास अपीलकर्ता द्वारा **शिव करम पायस्वामी तिवारी बनाम शिवा करम महाराष्ट्र राज्य 11 एस.सी.सी. 262 (2009)** के मामले में उठाए गए इसी तरह के तर्क की जांच करने का अवसर था। उस मामले में अपीलकर्ता के तर्क को खारिज करने वाले न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया:

"8. हम पहले गैर-न्यायिक स्वीकारोक्ति के दावे के संबंध में प्रश्न पर विचार करेंगे। हालांकि यह आवश्यक नहीं है कि गवाह सटीक शब्द बोले, लेकिन महत्वपूर्ण और भौतिक अंतर नहीं हो सकता है। गैर-न्यायिक स्वीकारोक्ति के रुख से निपटने के दौरान, न्यायालय को [स्वयं] संतुष्ट करना होगा कि यह स्वैच्छिक था और बिना किसी दबाव और अनुचित प्रभाव के। न्यायेतर = स्वीकारोक्ति दोषसिद्धि का आधार बन सकती है यदि जिन व्यक्तियों के सामने इसे बनाया गया है, वे निष्पक्ष प्रतीत होते हैं और अभियुक्त के लिए दूर-दूर तक भी शत्रुतापूर्ण नहीं होते हैं। जहां दुश्मनी दिखाने के लिए सामग्री है, न्यायालय को सावधानी से आगे बढ़ना होगा और यह पता लगाना होगा कि क्या किसी भी अन्य सबूत की तरह स्वीकारनामे भी गवाह की सत्यता पर निर्भर करता है जिसे यह किया गया है। यह अपरिवर्तनीय नहीं है कि न्यायालय को ऐसे साक्ष्य को स्वीकार नहीं करना चाहिए यदि वास्तविक शब्दों को दोहराया नहीं जाता है जैसा कि बोले जाने का दावा किया गया है, और सार दिया जाता है। यह मामले की परिस्थिति पर निर्भर करेगा। यदि पदार्थ स्वयं



दोषी साबित करने के लिए पर्याप्त है और अभियुक्त द्वारा दिए गए बयान के आयात के बारे में कोई अस्पष्टता नहीं है, तो सबूतों पर कार्रवाई की जा सकती है, भले ही वास्तविक शब्द नहीं बताए गए हों। मानव मन एक टेप अभिलेखी नहीं है जो शब्द दर शब्द कही गई बातों को अभिलेखी करता है। गवाह को अभियुक्त द्वारा बोले गए वास्तविक शब्दों को यथासंभव कहने में सक्षम होना चाहिए। इससे किसी भी अस्पष्ट बयान की गलत व्याख्या की संभावना से इंकार हो जाएगा। यदि मामले के बयान की शब्द-दर-शब्द पुनरावृत्ति पर जोर दिया जाता है, तो अक्सर गैर-न्यायिक स्वीकारोक्ति के साक्ष्य मूल्य को अविश्वसनीय और उपयोगी नहीं मानकर बाहर फेंकना पड़ता है। यह कानून में एक आवश्यकता नहीं हो सकती है। कुछ ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनकी याददाश्त अच्छी होती है और वे सटीक शब्दों को दोबारा पोस्ट करने में सक्षम हो सकते हैं और ऐसे कई लोग हो सकते हैं जिनके पास सामान्य याददाश्त होती है और ऐसा करते हैं। यह न्यायालय पर निर्भर करता है कि वह गवाह की क्षमता की विश्वसनीयता का आकलन करे और उसके बाद यह तय करे कि उसके साक्ष्य को स्वीकार किया जाना है या नहीं। यदि न्यायालय उन गवाहों पर विश्वास करती है जिनके सामने स्वीकारोक्ति की जाती है और वह संतुष्ट है कि इस तरह के सबूतों के आधार पर स्वीकारोक्ति स्वैच्छिक थी, तो दोषसिद्धि स्थापित की जा सकती है। इस तरह का स्वीकारोक्ति स्पष्ट, विशिष्ट और स्पष्ट होना चाहिए ..."

(महत्वसन्निविष्ट)

46. प्रस्तुत मामले में, अ०सा०-6 की गवाही को केवल अनुमानों के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनके साक्ष्य को बदनाम करने के लिए कुछ भी ठोस नहीं निकाला गया है। अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने एक लंगड़ी आधार लिया है कि अ०सा०-6, अपनी जिरह में, अपीलकर्ता द्वारा किए गए अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति का दिन या तारीख नहीं बता सका और इसलिए, अपीलकर्ता की अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति के संबंध में अ०सा०-6 की गवाही पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। यह तुच्छ कानून है कि जिरह का प्राथमिक उद्देश्य गवाहों की सत्यता और विश्वसनीयता का परीक्षण करना है, न कि मामूली विवरणों को याद करने या तारीख, समय या स्थान से संबंधित घटनाओं के संस्करण द्वारा टेप रिकॉर्डर के रूप में कार्य करने की उनकी क्षमता। हम इस तथ्य को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते हैं कि अ०सा०-6 की जांच 14.07.2010 को की गई थी यानी एक वर्ष से अधिक समय के बाद और इसलिए, गवाह से यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वह हर मिनट के विवरण जैसे कि दिन, तारीख या अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति का समय

याद करे। इसके अलावा, इस न्यायालय ने पाया कि विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को केवल न्यायेतर स्वीकारोक्ति के आधार पर दोषी नहीं ठहराया है, बल्कि अपीलकर्ता के खिलाफ पाए गए अन्य सम्मोहक सबूतों जैसे प्रकटीकरण, वसूली, आचरण, धारा 106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम आदि का आह्वान करने के आधार पर भी दोषी ठहराया है। इस प्रकार, हमें अपीलकर्ता के अधिवक्ता की प्रस्तुति में कोई बल नहीं मिलता है। हमें अपीलकर्ता के अधिवक्ता की इस दलील में भी कोई बल नहीं मिलता है कि उक्त अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति आरोपी बाबू और मुनव्वर को बचाने के लिए की गई है।

47. अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि अ०सा०-6 (श्यामधर पांडे) का पुलिस के साथ प्रभाव था या अपीलकर्ता को पुलिस के उत्पीड़न से बचाने के लिए कुछ स्थिति थी, इस तरह अपीलकर्ता के सामने अपना अपराध कबूल करने और उसे बचाने का अनुरोध करने का कोई कारण नहीं था। माना जाता है कि अ०सा०-6 की मां मौजूदा गांव प्रधान थी, जिससे अपीलकर्ता संबंधित था। अ०सा०-6 की गवाही में यह सामने आया है कि वह उसकी मां को ग्राम प्रधान के रूप में उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने में सहायता करता था और आमतौर पर लोगों और अधिकारियों के सामने उसका प्रतिनिधित्व करता था। यह नहीं देखा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रधान गांव के चौकीदार पर किसी प्रकार का प्रभाव और नियंत्रण रखता है। अ०सा०-6 के साक्ष्य में यह सामने आया है कि वह पुलिस के समक्ष अपीलकर्ता के घर गया था और मृतक पर गोली लगने की चोट को देखते हुए अपीलकर्ता को सलाह दी थी कि वह मृतक को जल्दबाजी में दफनाने की कोशिश न करे और इसके बजाय पुलिस को सूचित करे, जिसे वह मानने में विफल रहा, क्योंकि यह अंततः अ०सा०-3 (गांव चौकीदार) था, न कि अपीलकर्ता, जिसने पुलिस में वर्तमान शिकायत दर्ज कराई थी। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि अ०सा०-6 अपीलकर्ता को संभावित पुलिस उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने की स्थिति में नहीं था और इसलिए, अपीलकर्ता के लिए अ०सा०-6 के समक्ष अपना अपराध स्वीकार करने का कोई अवसर नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह दिखाने के लिए अभिलेखों पर कोई सबूत नहीं है कि उक्त अ०सा०-6 किसी भी तरह से अपीलकर्ता के प्रति शत्रुतापूर्ण था या उसे दिया गया बयान किसी जबरदस्ती या बल के तहत था। अभिलेखों पर यह दिखाने के लिए कोई तर्क भी नहीं है और न ही कोई सबूत है कि न्यायेतर स्वीकारोक्ति स्वैच्छिक नहीं थी और इस तरह अपीलकर्ता के अधिवक्ता द्वारा इस आशय की दलील दी गई थी कि अ०सा०-6 अपीलकर्ता को बचाने



की स्थिति में नहीं था और इस तरह अ०सा०-6 के बिना योग्यता के पाए जाने से पहले उसके लिए कोई गैर-न्यायिक स्वीकारोक्ति करने का कोई अवसर नहीं था।

48. अपीलकर्ता के अधिवक्ता द्वारा उठाया गया अगला मुद्दा अपीलकर्ता के कहने पर बन्दूक की बरामदगी से संबंधित है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बचाव पक्ष द्वारा सह-अभियुक्तों में से एक के क्षेत्र से वसूली के तरीके के बारे में कुछ विसंगतियों की ओर इशारा किया गया है, जिसे बरी कर दिया गया है, हालांकि, वसूली गवाह अ०सा०-7 (विक्रम) की गवाही के साथ-साथ विवेचनाधिकारी-अ०सा०-11 की गवाही का एक सादा पठन यह साबित करता है कि अपराध हथियार अपीलकर्ता के प्रकटीकरण बयान और इशारा पर बरामद किया गया था, जैसा कि अपीलकर्ता द्वारा भी गवाही दी गई है। अ०सा०-3 (सूचनाकर्ता)। हथियार की बरामदगी के लिए खेत किसने खोदा, इस से संबंधित मामूली विसंगति अ०सा०-7 की गवाही पर कोई संदेह पैदा नहीं करती है, जिसने गवाही दी है कि वह एक मौके के रूप में वसूली के स्थान पर मौजूद था और पुलिस द्वारा उक्त बरामदगी का गवाह बनने के लिए नहीं बुलाया गया था। उक्त गवाह के दर्ज बयान की समग्रता में, इस न्यायालय को कोई भी कमजोरी नहीं मिलती है, जो मामले की जड़ तक जाती है या किसी भी तरह से अभियोजन की कहानी को बर्बाद कर देती है। इसके अलावा, इस न्यायालय ने नोटिस किया कि हथियार की बरामदगी घटना के तुरंत बाद नहीं बल्कि एक महीने से अधिक समय के बाद हुई थी और अपीलकर्ता की गिरफ्तारी के साथ-साथ हुई थी। आग्नेयास्त्रों की बरामदगी का समय, गिरफ्तारी की तारीख और स्थान (यानी बाबू का क्षेत्र, जो एक सह-आरोपी है और अपीलकर्ता की बेटियों के बयान से प्रस्तुत मामले में उलझा हुआ है), अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को प्राप्त करने के लिए जांच द्वारा सामने रखी गई कहानी को पंख देता है। अपीलकर्ता द्वारा दिए गए बयान के अनुसार बरामद आग्नेयास्त्र से संबंधित बैलिस्टिक रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि इसका इस्तेमाल फायरिंग के लिए किया गया था। इसलिए, बरामदगी, बैलिस्टिक रिपोर्ट और चिकित्सा साक्ष्य के साथ मिलकर पढ़ी जाती है, जो एक करीबी सीमा की बन्दूक की चोट और घटना के बाद अपीलकर्ता के आचरण का संकेत देती है, स्पष्ट रूप से परिस्थितियों की एक सुसंगत श्रृंखला बनाती है, जिससे एकमात्र निष्कर्ष निकलता है कि अपीलकर्ता और किसी और ने अपनी पत्नी की हत्या नहीं की है।

49. अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि अपीलकर्ता के लिए अपनी पत्नी की हत्या करने का कोई मकसद नहीं है जैसा कि अ०सा०-1 और अ०सा०-2 द्वारा भी गवाही दी गई है और इस तरह परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी मामले में दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा



जा सकता है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, यह समझा जाना चाहिए कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि मकसद उन परिस्थितियों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है जो अभियुक्त के अपराध को साबित कर सकती है, हालांकि, यह भी उसी नस में समझा जाना चाहिए कि भले ही अभियुक्त के लिए किसी विशेष अपराध को करने का एक बहुत मजबूत मकसद हो, यह अपने आप में दोषसिद्धि की ओर नहीं ले जाता है, यदि चश्मदीद गवाह आश्वस्त नहीं हैं या परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी नहीं हुई है। आधार रखने वाला कानून यह है कि यदि मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर बनाया गया है, तो मकसद की अनुपस्थिति एक ऐसा कारक होगा जो अभियुक्त के पक्ष में होता है और जिस तरह एक मजबूत मकसद अपने आप में दोषसिद्धि का परिणाम नहीं होता है, उसी तरह उस एकमात्र आधार पर मकसद की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप बरी नहीं किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **सुरेश चंद्र बहरी बनाम बिहार राज्य, 1995** में रिपोर्ट किया गया पूरक (1) एस.सी.सी. 80; यह माना गया है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर एक मामले में, मकसद का प्रमाण केवल "परिस्थितियों की श्रृंखला में एक कड़ी प्रदान करेगा, लेकिन फिर भी, मकसद की अनुपस्थिति अभियोजन पक्ष के मामले को पूरी तरह से खारिज करने का आधार नहीं हो सकती है। उक्त निर्णय का प्रस्तर-21 इस प्रकार है:

"21. शुरुआत में हम उल्लेख कर सकते हैं कि कभी-कभी मकसद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अपराध करने के लिए एक सम्मोहक शक्ति बन जाता है और इसलिए अपराध के पीछे का मकसद एक प्रासंगिक कारक है जिसके लिए सबूत जोड़े जा सकते हैं। एक मकसद एक ऐसी चीज है जो किसी व्यक्ति को कुछ अवैध कार्य या यहां तक कि एक कानूनी कार्य करने के लिए एक राय या इरादा बनाने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन उस इरादे को प्राप्त करने की दृष्टि से अवैध तरीकों से। ऐसे मामले में जहां अपराध करने के उद्देश्य का स्पष्ट प्रमाण है, यह न्यायालय के इस निष्कर्ष को समर्थन देता है कि आरोपी उस अपराध का दोषी था जिसके साथ आरोप लगाया गया था। लेकिन यह याद रखना होगा कि मकसद के सबूत की अनुपस्थिति आरोपी के अपराध पर असर डालने वाले सबूतों को फिर भी अविश्वसनीय या अविश्वसनीय नहीं बनाती है क्योंकि अक्सर यह केवल अपराध का अपराधी ही होता है जो जानता है कि किन परिस्थितियों ने उसे एक निश्चित कार्रवाई के लिए प्रेरित किया जिससे अपराध हुआ। हमारे सामने प्रस्तुत मामले में, अभियोजन पक्ष ने सबूत पेश किए हैं कि



अपीलकर्ता सुरेश बहरी का अपनी पत्नी और दो बच्चों को अपने रास्ते से खत्म करने का मजबूत मकसद था, जिसके सबूत को नीचे की दोनों अदालतों द्वारा स्वीकार किया गया है। इसलिए, हम उक्त सबूतों पर एक नज़र डालेंगे ताकि यह देखा जा सके कि क्या दोनों अदालतें इस विचार को स्वीकार करने में उचित हैं या नहीं कि अपीलकर्ता सुरेश बहरी का अपनी पत्नी और दो बच्चों की हत्या करने के लिए अन्य दो अपीलकर्ताओं, राजपाल शर्मा और गुरबचन सिंह की सहायता से साजिश रचने का एक मजबूत मकसद था। (महत्व सन्निविष्ट)

50. हाल ही में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुभाष अग्रवाल बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य, 2025 आईएनएससी 499 के रूप में रिपोर्ट किया गया; उक्त पहलू पर विभिन्न निर्णयों का पता लगाने के बाद, निम्नलिखित शब्दों में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मामले में मकसद के महत्व की अवधारणा को समाप्त किया:

"24. मकसद अपराधी के दिमाग के आंतरिक गड्ढों में छिपा रहता है, जिसे जांच एजेंसी द्वारा पहले से कहीं अधिक बार नहीं निकाला जा सकता है। हालांकि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में, मकसद की पूर्ण अनुपस्थिति आरोपी के पक्ष में होगी, इसे सार्वभौमिक आवेदन के एक सामान्य प्रस्ताव के रूप में घोषित नहीं किया जा सकता है, कि मकसद के अभाव में, पूरी दोषी परिस्थितियों को नजरअंदाज किया जाना चाहिए और आरोपी को बरी कर दिया जाना चाहिए।" (महत्व सन्निविष्ट)

51. जहां तक प्रस्तुत मामले का संबंध है, अपीलकर्ता ने अपनी बेटी की जांच अंसा०-1 और अंसा०-2 के रूप में किए गए बयान पर बहुत अधिक भरोसा किया है कि उसकी पत्नी को मारने का कोई मकसद नहीं है। इस तथ्य के अलावा कि बेटियों का बयान विश्वास करने योग्य नहीं प्रतीत होता है, जैसा कि यहां ऊपर देखा गया है, इस न्यायालय ने पाया कि उनके बयान को बेसिक चिल्ड्रन सिंड्रोम द्वारा प्रभावित किया गया है ताकि उनके पिता को अपनी मां की हत्या के मुकदमे का सामना कर रहे हैं और बच्चों को पहले से ही अपनी मां को खोने और अपने पिता को न खोने की शर्त पर आ चुके हैं। बेटियों (अंसा०-1 और अंसा०-2) ने अपने पिता को बचाने के लिए एक जानबूझकर प्रयास किया है, जैसा कि उनकी गवाही से स्पष्ट है, जिसमें उन्होंने अपने पड़ोसियों को अपनी मां की हत्या के आरोपी के रूप में नामित किया है, हालांकि, विचारण न्यायालय द्वारा इस पर विश्वास नहीं किया गया जिससे उन्हें बरी कर दिया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



52. माना जाता है कि विवेचनाधिकारी (अ०सा०-11) के साक्ष्य में यह बात सामने आई है कि दोनों बेटियों ने बाद में पड़ोसियों का नाम लिया है क्योंकि जांच के दौरान उनके द्वारा ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया गया था और परिणामस्वरूप उनके खिलाफ कोई आरोप पत्र दायर नहीं किया गया था और इन लोगों यानी बाबू, मुन्नव्वर और शाकिर अली को विचारण न्यायालय द्वारा धारा 319 द०प्र०स० के तहत आरोपी के रूप में जोड़ा गया था। अ०सा०-1 और अ०सा०-2 दोनों एक हितबद्ध गवाह प्रतीत होते हैं और दूसरी ओर अ०सा०-4 और अ०सा०-6 के साक्ष्य स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं कि अपीलकर्ता और मृतक के बीच उनकी बेटी हिना की प्रस्तावित शादी के कारण तनावपूर्ण संबंध थे, और घटना से कुछ समय पहले एक विवाद हुआ था। उक्त विवाद के तथ्य की परिकल्पना इस तथ्य के बयानों से भी की जाती है कि यह सबूत में आया है कि मृतक को छोड़कर, परिवार के सभी सदस्य, जिनमें बेटियां और अपीलकर्ता-पिता शामिल हैं, घटना के समय छत पर सो रहे थे। इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला गया है कि अपीलकर्ता के लिए जघन्य अपराध करने का एक मकसद था, लेकिन जैसा कि पूर्वोक्त है, हालांकि मकसद अपने आप में निर्णायक नहीं हो सकता है, इसका अस्तित्व अभियोजन पक्ष के मामले को आश्वासन देता है, विशेष रूप से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में। इसलिए, प्रस्तुत मामले में यह साबित होता है कि लिंक और परिस्थितियां इतनी परस्पर जुड़ी हुई हैं कि वे अपीलकर्ता की दोषसिद्धि की एकमात्र परिकल्पना की ओर ले जाती हैं।

53. इसके अलावा, गवाहों की गवाही से यह स्थापित होता है कि मृतक को उस घर के अंदर एक हत्या की मौत हुई थी, जहां अपीलकर्ता विशेष रूप से घटना की घटना से ठीक पहले के समय में मौजूद था। अपराध का मूल मूलभूत तथ्य, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, अपीलकर्ता के खिलाफ साबित होने के बाद, कुछ अन्य तथ्यों के अस्तित्व के बारे में निष्कर्ष निकालना कानूनी, उचित और उचित था जो अभियुक्त के विशेष ज्ञान के भीतर हैं। इसलिए, विचारण न्यायालय ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत अपीलकर्ता पर उन परिस्थितियों की व्याख्या करने का बोझ डालने का अधिकार सही था जिनमें उसकी पत्नी को घातक चोटें आईं। इस न्यायालय ने पाया कि अपीलकर्ता जांच के दौरान या धारा 313 द०प्र०स० के तहत अपने बयान में कोई बोधगम्य या संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में विफल रहा है। कानून द्वारा उस पर डाले गए बोझ को कम करने के लिए केवल इनकार पर्याप्त नहीं है और विशेष रूप से जब उस पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप लगाया गया हो। जाहिर है, अपराध स्थल पर अपीलकर्ता की उपस्थिति साबित हो गई है



और मृतक-पत्नी की मृत्यु के कारण और शव को दफनाने की जल्दबाजी में प्रयास करने के उसके आचरण से संबंधित एक झूठी कहानी बनाने की प्रतिकूल परिस्थितियां हैं। अपीलकर्ता को उक्त बाध्यकारी परिस्थितियों में कानून के तहत स्पष्टीकरण देना है, जिसे वह पेश करने में विफल रहा है।

54. इसके अलावा, अंसा०-1 और अंसा०-2 द्वारा बाबू, मुनव्वर और शाकिर अली को फंसाने वाले सिद्धांत को पेश करने की मांग की गई थी, जिस पर विचारण न्यायालय ने सही ढंग से अविश्वास किया है, परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी भी है, जो अपीलकर्ता की दोषसिद्धि की परिकल्पना की ओर इशारा करती है। इस प्रकार, इस न्यायालय को यह मानने में कोई संदेह नहीं है कि अभिलेखों पर मौजूद साक्ष्य, स्पष्ट रूप से अपराध के अपराधी के रूप में अपीलकर्ता और उसके खिलाफ लगाए गए हत्या के अपराध के बीच एक अटूट संबंध की ओर इशारा करते हैं।

55. पूर्वगामी चर्चा को देखते हुए, हमारा विचार है कि अभियोजन पक्ष परिस्थितियों की एक पूर्ण और अटूट श्रृंखला स्थापित करने में सफल रहा है जो उचित संदेह से परे अपीलकर्ता के अपराध को निर्णायक रूप से साबित करता है। विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष किसी भी विकृति या अवैधता से ग्रस्त नहीं हैं, जिसके लिए इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया गया है।

56. तदनुसार, धारा 302 भ०द०वि० के तहत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को बरकरार रखा जाता है और अपील जिसमें किसी भी योग्यता की कमी है, खारिज की जा सकती है, जहां तक यह दोषसिद्धि से संबंधित है। हालांकि, अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि अपीलकर्ता 75 वर्ष से अधिक हैं और 14 साल और 3 महीने से अधिक समय से जेल में रहा है और इस तरह यह न्यायालय एक संवैधानिक न्यायालय होने के नाते विचारण न्यायालय द्वारा दी गई आजीवन कारावास की सजा में कुछ नरमी बरत सकती है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि अपीलकर्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

57. उपरोक्त पहलू में, इस न्यायालय को हाल ही में ऐसी स्थिति से निपटने का अवसर मिला, जिसमें उस मामले में अपीलकर्ता को अपनी पत्नी की मृत्यु के लिए दोषी ठहराया गया था, हालांकि भारतीय दंड संहिता की धारा 304-बी के तहत एक अपराध के लिए, पारस नाथ साहू और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में 2025 के रूप में रिपोर्ट किया गया था: उस मामले में अपीलकर्ता को विचारण न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस न्यायालय

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ने आजीवन कारावास के बजाय एक निश्चित अवधि की सजा देने में क्षेत्राधिकार के दायरे और सीमा पर कानून पर चर्चा करते हुए निम्नानुसार व्यवस्था की है:

"42. माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ, भारत संघ बनाम वी. श्रीहरन के मामले में, (2016) 7 एस.सी.सी. 1 में रिपोर्ट की गई; इस मुद्दे पर विचार कर रहे थे कि क्या भ०द०वि० की धारा 45 के साथ पठित धारा 53 के संदर्भ में आजीवन कारावास का अर्थ है दोषी के शेष जीवन के लिए कारावास। संवैधानिक पीठ ने स्वामी श्रद्धानंद (2) बनाम विभिन्न उदाहरणों का उल्लेख करने के बाद स्वामी श्रद्धानंद (2) बनाम विभिन्न उदाहरणों का उल्लेख किया। (क) क्या यह सच है कि कर्णाटक राज्य (2008) 13 एस.सी.सी. 767 में रिपोर्ट किया गया है; वी. श्रीहरन (उपरोक्त) के प्रस्तर संख्या-104 और 105 में इसका उत्तर दिया है, जो निर्णय नीचे शब्दशः उद्धृत किया गया है:

"104. इसके अलावा, ऐसे अधिकांश मामलों में जहां मृत्युदंड या आजीवन कारावास विचारण न्यायालय द्वारा लगाई गई सजा है और उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पुष्टि की जाती है, संबंधित दोषी को इस न्यायालय में विशेष अनुमति के माध्यम से आगे अपील दायर करके इस तरह के फैसले का परीक्षण करने का अवसर मिलेगा। अत्यधिक सावधानी के माध्यम से और संहिता के निर्धारित कानून और आपराधिक न्यायशास्त्र के अनुसार, हम इस बात पर जोर दे सकते हैं कि ऐसे निर्दिष्ट गंभीर अपराधों के अपराध की प्रारंभिक खोज और दंड या तो मृत्यु या आजीवन कारावास के अधिरोपित होने के बाद, जब उच्च न्यायालय की खंडपीठ की जांच के अधीन आता है, यह केवल उच्च न्यायालय है जो दंड संहिता के तहत शक्ति प्राप्त करता है, जो मृत्युदंड और वैकल्पिक सजा निर्धारित करता है, उक्त सजा को या तो दोषी के जीवन की संपूर्णता के लिए या 14 वर्ष से अधिक की किसी विशिष्ट अवधि के लिए, जैसे 20, 30 या उससे अधिक की किसी विशिष्ट अवधि के लिए, किए गए अपराध की गंभीरता और ऐसे अपराध के अनुरूप न्यायिक विवेक के प्रयोग के आधार पर बदल सकता है।"

(महत्व सन्निविष्ट)



"105. इसलिए, हम दोहराते हैं कि ऐसे निर्दिष्ट अपराधों के लिए दंड संहिता में प्रदान की गई सजा के भीतर किसी भी संशोधित दंड के लिए दंड संहिता से प्राप्त शक्ति का प्रयोग केवल उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है और आगे अपील की स्थिति में केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, न कि इस देश में किसी अन्य न्यायालय द्वारा। इसे अलग तरीके से रखने के लिए, कारावास की किसी भी विशिष्ट अवधि के लिए या मौत की सजा के विकल्प के रूप में दोषी के जीवन के अंत तक प्रदान करने वाली संशोधित सजा देने की शक्ति का प्रयोग केवल उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, न कि किसी अन्य अवर न्यायालय द्वारा।

(महत्व सन्निविष्ट)

43. इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शिव कुमार बनाम के मामले में कर्नाटक राज्य, (2023) 9 SCC 817 में रिपोर्ट किया गया; वी. श्रीहरन (उपरोक्त) और स्वामी श्रद्धानंद (2) (उपरोक्त) के उपरोक्त दोनों निर्णयों पर विचार करने के बाद; प्रस्तर संख्या 14 में, आयोजित किया गया है कि:

"14. इसलिए, हमें संदेह का कोई तरीका नहीं है कि ऐसे मामले में भी जहां मृत्युदंड नहीं लगाया गया है या प्रस्तावित नहीं है, संवैधानिक अदालतें हमेशा यह निर्देश देकर संशोधित या निश्चित अवधि की सजा देने की शक्ति का प्रयोग कर सकती हैं कि धारा 53 भ०द०वि० में "दूसरे" द्वारा विचार किया गया आजीवन कारावास चौदह वर्ष से अधिक की निश्चित अवधि का होगा, उदाहरण के लिए, बीस साल, तीस साल और इसी तरह। द०प्र०स० की धारा 433-ए के अधिदेश को ध्यान में रखते हुए निश्चित सजा 14 साल से कम की अवधि के लिए नहीं हो सकती है।

(महत्व सन्निविष्ट)

58. जहां तक प्रस्तुत मामले का संबंध है, कानून के उपरोक्त प्रस्ताव और समग्र तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, अभिलेखों पर लाए गए सबूतों को ध्यान में रखते हुए, जिसके आधार पर अपीलकर्ता को दोषी ठहराया गया था, हमें अपने विचारशील विचार में एकत्र किए गए सबूतों के आधार पर दोषी की दोषसिद्धि के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है और एक तरफ



सजा की मात्रा के साथ एक तरफ उक्त अपराध के लिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि किया गया अपराध सबसे जघन्य अपराधों में से एक है और बड़े पैमाने पर समाज के खिलाफ है, क्योंकि इसमें किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पति द्वारा अपनी ही पत्नी की हत्या का उक्त कार्य न केवल पत्नी के शरीर की हत्या है, बल्कि उसके विश्वास, आत्मा और शारीरिक मन की हत्या भी है। हालांकि, इस न्यायालय को न केवल बड़े पैमाने पर समाज की सेवा करने के लिए न्याय की भावना पर प्रहार करने की आवश्यकता है, बल्कि विभिन्न उपस्थित शमन कारकों को भी अभिलेखों में रखने की आवश्यकता है।

59. इस न्यायालय ने पाया कि, यह अभिलेखों पर आया है कि अपीलकर्ता 75 वर्ष से अधिक है और पिछले 14 साल और 4 महीने से अधिक समय से जेल में है। इसके अलावा, अपीलकर्ता आदतन अपराधी नहीं है क्योंकि अपीलकर्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रस्तुत मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय समाज की शांति से, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहने की आवश्यकता को सुधारने की संभावना के साथ संतुलित करता है और अपीलकर्ता को समाज में वापस एकीकृत करता है, यह विचार है कि यदि अपीलकर्ता को मामले के वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों में कारावास की एक निश्चित अवधि से सम्मानित किया जाता है, तो न्याय मिलेगा। इस प्रकार, धारा 302 भ०द०वि० के तहत अपीलकर्ता-**यासीन** को दी गई आजीवन कारावास की अधिकतम सजा को बिना किसी छूट के एक निश्चित अवधि वर्ष 15 (पंद्रह वर्ष) कठोर कारावास में घटाया जाता है। हालांकि, धारा 302 भ०द०वि० के तहत जुर्माने में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है और उस हद तक अपील खारिज की जा रही है।

60. नतीजतन, **यासीन** की प्रस्तुत अपील को **आंशिक रूप** से आजीवन कारावास की सजा की सीमा तक **अनुमति** दी जाती है, जिसे एक निश्चित अवधि वर्ष 15 (पंद्रह) वर्ष के कठोर कारावास में परिवर्तित किया जा रहा है, बिना किसी छूट के, लेकिन जुर्माने के साथ, जैसा कि विचारण न्यायालय के 22.09.2011 के दोषसिद्धि और सजा के आक्षेपित निर्णय में निर्धारित किया गया है।

61. ऐसा कहने के बाद, यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलकर्ता- **यासीन** को अपराध मामले संख्या 154 वर्ष 2009 से उत्पन्न सत्र परीक्षण संख्या 371 वर्ष 2009 (राज्य बनाम यासीन और अन्य) के तहत, बिना किसी छूट के, बिना किसी छूट के सजा, वर्ष 15 वर्ष, कठोर कारावास की सजा से गुजरने के बाद ही रिहा किया जाएगा। तदनुसार जेल अधिकारियों को हिरासत की अवधि



की गणना करने और उक्त अवधि की गणना करने के लिए अपीलकर्ता को धारा 427 और 428 द०प्र०स० का लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया जाता है।

62. लागत (लागतों) के रूप में कोई आदेश नहीं होगा।

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान)

30 जनवरी 2026

अनुज सिंह

Translated Version. Not for Legal Use.